12.3.22 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी 2, 4 व 5 तथा उप पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया। वादी ने जिन प्रतिवादीगण के पिता से पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि क्रय की थी, इनके उत्तराधिकारियों ने आज अदालत होकर जमीन क्रेता के नाम किये जाने पर सहमति पेश की। लोक अदालत की भावना से वाद, वादीगण स्वीकार किया जाता है।

अब विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुदा ... बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:02 IST
Reason: SelfAttested

गिरिराज

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 18 / 2022

तारीख दायरा 02.03.2022

उनवान

सिपिन गुप्ता आत्मज रामबाबू जाति महाजन निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

— वादी

बनाम

1. गिरिराज पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
2. दिनेष पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
3. बंटीराम पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
4. गिरिराज पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
5. भंवरी बाई पत्नी स्व0 मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
6. गुड्डी बाई पुत्री मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
7. मंजू बाई पुत्री मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी लबानियां।
8. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वकील वादी

दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

--निर्णय--

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि माल ग्राम लबानियां तहसील सांगोद जिला कोटा में निम्नलिखित आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के पिता एवं पति मोतीलाल उर्फ मोती के खाते की स्थित है –

विवरण आराजी:–

क.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1	113	0.47
	133/656	0.58
	134/657	0.99
	186/658	0.64
	549/659	0.03
	591	0.12
	593	0.02
	7 किता	2.85 है0

उक्त वर्णित आराजी मोती उर्फ मोतीलाल प्रतिवादीगण के 1 लगायत 7 के पिता एवं पति के खाते दर्ज होने से दिनांक 26/03/[illegible] को उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 113 की 0.47 है0 आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को विक्रय कर बेचान की सम्पूर्ण रकम 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये जरिये चैक प्राप्त कर आराजी पर केता वादी का कब्जा भलि–भांति करा दिया था। वादी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खरीद से उक्त वर्णित आराजी का मालिक एवं स्वामी होकर कानूनन खातेदार कृषक हो गया।

उक्त आराजी पर मोती उर्फ मोतीलाल से आई.सी.आई. बैंक शाखा बारां से किसान केडिट कार्ड हेतु ऋण ले लिये जाने से वादी के द्वारा खरीद शुदा आराजी का वादी के हक में नामान्तरण बैंक का रहन का नोट अंकित होने से दर्ज नहीं किया जा सका तथा इसी दौरान मोती उर्फ मोतीलाल की मृत्यु हो जाने से विवादित आराजी सहित सम्पूर्ण आराजी का फौती नामान्तरण मोती उर्फ मोतीलाल के वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किया जा चुका है। जबकि खसरा नम्बर 113 की 0.47 है0 आराजी प्रतिवादीयों के पिता मोतीलाल ने पूर्व में ही वादी को विकय कर रकम प्राप्त कर कब्जा भी दे दिये जाने से खसरा नम्बर 113 की 0.47 है0 आराजी का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज कर शेष आराजी का फौती नामान्तरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 113 की 0.49 है0 आराजी के बाबत माननीय न्यायालय से अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर आराजी अपने खाते दर्ज करवायें जिसके लिये प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर खसरा नम्बर 113 की 0.47 है0 आराजी पिता द्वारा विकय करना स्वीकार किया तथा उक्त आराजी पर वादी का कब्जा होना स्वीकार किया राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार सांगोद ने उपस्थित होकर उक्त वाद में राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होना माना। राजीनामा तस्दीक किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

गया। राजीनामें एवं विक्रय विलेख की प्रति के आधार पर ग्राम लबानियां की खसरा नम्बर 113 की 0.47 है0 आराजी खातेदार द्वारा विक्रय किया जाना पाया गया ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

ग्राम लबानियां की खसरा संख्या 113 की 0.47 है0 आराजी का वादी सिपिन गुप्ता पुत्र रामबाबू जाति महाजन निवासी बपावरकलां को बहैसियत खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:02 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद